माननीय परिवहन मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी,
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, राज्य परिवहन आयुक्त श्री आदेश तितरमारे जी
परिवहन विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण
चैम्बर के सदस्यगण तथा आज की सभा में पधारे अतिथिगण एवं
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बन्धुओं ।

सर्वप्रथम मैं आपसभी का आज की बैठक में भाग लेकर सफल बनाने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ ।

मैं माननीय मंत्री जी एवं परिवहन सचिव जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ जिन्होंने चैम्बर के सदस्यों को परिवहन विभाग से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श एवं परिवहन विभाग की भावी कार्य योजना के संबंध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराने हेतु आज हमारे बीच पधारने की कृपा की है ।

मित्रों जैसाकि आपसभी जानते हैं कि परिवहन विभाग राज्य में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्पित है जिससे कि आमलोग सहजता से एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकें ।

महोदय, पटना के आम नागरिकों के साथ–साथ राज्य के विभिन्न भागों से कार्यवश पटना आनेवाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सरल बनाने के लिए प्रारम्भ की गई परिवहन सेवा को बेहतर बनाने का आपका प्रयास काफी प्रशंसनीय एवं सराहनीय है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी । गॉधी मैदान से दानापुर, गॉधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन, गॉधी मैदान से ऐमस के साथ ही आपने पटना का प्राचीन एवं सबसे घनी आबदी वाला क्षेत्र पटना सिटी तक परिवहन सेवा की शुरूआत से कंकड़बाग, अगमकुऑ, गुलजारबाग के लोगों को काफी सुविधा हो रही है ।

परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों को तोड़नेवाले वाहन चालकों के घर डाक के माध्यम से ई–चालान भेजे जाने का प्रावधान भी काफी सराहनीय है ।

परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों का व्यवसायिक में परिवर्तन की सुविधा को सुगम बनाने का आपका प्रयास काफी सराहनीय है । आपने इसके कार्यान्वयन के लिए सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है । आशा है इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा तथा इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे ।

माननीय मंत्री जी एवं परिवहन सचिव के रूप में आप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में पहली बार आ रहे हैं इसलिए अवसर तो आपका स्वागत का है परन्तु इस अवसर का फायादा उठाते हुए हम कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान अवश्य दिलाना चाहेंग :–

क्रमशः.....2

– सुबह से पूरे दिन तो कारगिल चौक पर बराबर हर मार्ग की बसें लगी रहती है लेकिन अपराह्न आठ बजते ही एक भी बस दिखाई नहीं देती है जबकि पटना में कई बड़े–बड़े दुकान एवं शोरूम हैं जो रात्रि नौ बजे के बाद ही बन्द होते हैं ऐसी परिस्थिति में उसमें काम करनेवाले कर्मचारियों को रात्रि में जाने में असुविधा होती है अतः कारगिल चौक से खुलनेवाले सभी मार्गों की बसों को कम–से–कम रात्रि दस बजे तक चलाया जाए ।

– परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर–टेलर के लिए सर्वक्षमा योजना लाया गया है जो स्वागत योग्य है । उसकी आखरी तिथि 30 जून 2018 है । इसकी तिथि का विस्तार करते हुए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है ।

– परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों के लिए High Security Registration Plate (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया है । लेकिन इसके वेंडर की संख्या काफी कम होने के कारण लोगों को असुविधा हो रही है अतः High Security Registration Plate (HSRP) लगानेवाले वेंडर की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए ।

– राज्य की आम जनता को एक जगह से दूसरे जगह सहजता से जाने के लिए सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित कुल 3284 मार्गों पर भी शीघ्र परिचलान प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

– ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ट्रैक्टर टेलर के पीछे में रिफलेक्टर या रेडियम स्टीकर नहीं लगे होने के कारण खासकर रात के समय पीछे से आनेवाले वाहन जब काफी नजदीक पहुँच जाते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है कि यह ट्रैक्टर का टेलर है । ऐसी परिस्थिति में बराबर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है क्योंकि हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गति अधिक होती है । अतः हमारा सुझाव है कि इस प्रकार के वाहनों के लिए रिफलेक्टर या रेडियम स्टीकर लगाना अत्यावश्यक किया जाना चाहिए और यदि चालक द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए तथा इसी तरह की व्यवस्था सभी ट्रकों के लिए भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

– नालन्दा जिला प्रशासन द्वारा व्यवसायिक वाहनों का इसलामपुर में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है । मानपुर फतुहा राजमार्ग, एकंगरसराय, हिल्सा में पूर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 9 बजे तक व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है जबकि वाहनों से राजमार्गों एवं राष्ट्रीय मार्गों के लिए रोड टैक्स लिया जाता है । यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः यातायात को सहज बनाने के लिए नालन्दा जिला प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण हटाया जाए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए ।

– दीघा ब्रीज (जे० पी० सेतु) को व्यवसायिक वाहनों के लिए खोला जाना चाहिए क्योंकि महात्मा गाँधी सेतु पर मरम्मती का कार्य चलने के कारण व्यवसायिक वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

– परिवहन विभाग को सड़क दुर्घटनाओं में होनेवाले जन–धन की हानि को कम कम करने एवं उसे नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसकी बैठक नियमित रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

क्रमशः.....3

- मोटर वाहन नियम 1988 के अनुसार 3000 किलोग्राम से कम वजन के वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं है परन्तु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा वैसे वाहनों से भी परमिट की मांग करके उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है । अत: इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना चाहिए ।

- परमिट की व्यवस्था सरल एवं सहज बनाने के लिए नया सॉफटवेयर विकसित कर इसे ऑन लाईन किया जाना चाहिए ।

- बढ़ते व्यवसायिक वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दुरूस्ती जॉच केन्द्रों (Fitness Testing Stations) की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए ।

- ई–रिकसा पर नियंत्रण की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कम उमर के लोग उसे चलाते हैं तथा यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं । रात के समय हेड लाइट में प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था नहीं होती है । बहुत से ई–रिकसा में कोई नम्बर प्लेट भी नहीं होता है ।

- पेमेन्ट की ऑन लाइन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

- लम्बी दूरी के वाल्वो एवं अन्य लक्जरी बसों में स्लीपर की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए ।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक हमारे सदस्यों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: आपसभी को धन्यवाद देता हूँ तथा आगे की कार्यवाही के लिए परिवहन सचिव जी से आग्रह करता हूँ ।

****

पटना
20.06.2018